न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 22/2022
गोपाल पुत्र रामोतार उर्फ रामावतार, उम्र वयस्क, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम वृन्दावन, तहसील व जिला झुंझुनूं राज0।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय झुंझुनूं राज0।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार झुंझुनूं बउनवानी प्रकरण सरकार बनाम गोपाल मु0न0 181/2021 अ0धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 04.03.2022

——

उपस्थितः—

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 29.06.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 04.03.2022 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट को अदालत मातहत की ओर से अ0धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का कानूनी नोटिस दिया गया था कि राजस्व भूमि ख0न0 1517 रकबा 41.21 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से 280 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय मकानात मय चार दिवारी बनाकर अपीलाण्ट ने अपना अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अदालत मातहत ने नोटिस अपीलाण्ट को मिलने पर अपीलाण्ट ने नियत दिनांक को उपस्थित होकर अदालत मातहत के समक्ष जवाब नोटिस पेश किया। जवाब नोटिस में लिए गये उज्रराते पर अदालत मातहत ने कोई गौर नही कर विवादित आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट नीचे लिखे उज्ररातो के साथ अपील पेश कर रहा है कि अदालत मातहत का आलोच्य आदेश पत्रावली के तथ्यों व कानून के खिलाफ है। ग्राम वृन्दावन की अधिकांश भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में गलत गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज है, परन्तु मौके पर कोई नदी नही है तथा ग्राम वृन्दावन के निवासी भूमि को काश्त करते है व मकानात बनाकर आबाद है। अदालत मातहत के आलोच्य आदेश प्रश्नगत भूमि ख0न0 1517 व 1518 जिसका पुराना ख0न0 557 के सम्बन्ध में था, ख0न0 557 की पर्चा खतोनी में खतोनी में खातेदार रामेश्वर दर्ज है जो अपीलान्ट के दादा थे। अदालत मातहत के समक्ष अपीलाण्ट ने पर्चा खतोनी पेश की थी परन्तु अदालत मातहत ने उक्त पर्चा खतोनी का विवरण अपने [illegible] आदेश में नही दिया है। भूमि ख0न0 1517 व 1518 की जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2016 में उक्त भूमि [illegible] खातेदार काश्तकार के नाम से दर्ज है परन्तु बाद में नाम हटा दिये किन्तु काश्त [illegible] रखी है तथा [illegible] की रसीदे भी अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की [illegible] अपने आलोच्य [illegible] में उक्त तथ्य का भी विवरण नही दिया है। भूमि ख0न0 1517 व 151[illegible] जिसका खातेदार काश्तका[illegible] अपीलाण्ट का दादा रामेश्वर थे। बाद में रेवेन्यू कर्मचारियो की गलती से रिकार्ड गलत बन गया और भूमि को रेवेन्यू रिकार्ड में नदी के नाम से गलत दर्ज कर दिया गया है। इसी गलत रिकार्ड के आधार पर अपीलाण्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

खिलाफ अदालत मातहत ने धारा 91 भू –राजस्व अधिनियम के नोटिस जारी कर आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट ने उक्त प्रकार से गलत रेवेन्यू रिकार्ड की जानकारी होने पर अपीलाण्ट के पिता ने एक दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ति का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं के समक्ष बउनवानी रामावतार बनाम राज0 सरकार मु0न0 178/2021 पेश किया, उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जारी कर रखी है, जिसकी तारीख पेशी दिनांक 27.04.2022 को नियत है। उक्त दावा की प्रमाणित प्रति भी अदालत मातहत के समक्ष अपीलाण्ट ने पेश की थी जिसका भी विवेचन अदालत मातहत ने अपने आलोच्य आदेश में नही किया है। भूमि ख0न0 1517 व 1518 अपीलाण्ट के दादा रामेश्वर की खातेदारी काश्त की भूमि रही है, अपीलाण्ट उक्त भूमि को अपने पिता के साथ काश्त करता आया है। अपने दादा के समय से बने मकानो में निवास करता आ रहा है। अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही अदालत मातहत द्वारा गलत कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त सभी उज्ररातो पर अदालत मातहत ने गौर नही कर अपीलाण्ट के खिलाफ गलत निर्णय पारित किया गया है। जिसको निरस्त किया जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ लौटाई जावे कि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं में चल रहे उपर वर्णित दावे के निस्तारण तक अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। अतः अपीलाण्ट की ओर से अपील पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है, कि अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 04.03.2022 को निरस्त व आपास्त फरमाया जावे तथा अदालत मातहत को पत्रावली इस निर्देश के साथ लौटाई जावे कि उपखण्ड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं के न्यायालय में चल रहे अपील में वर्णित दावा के निस्तारण तक अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे। अन्य कोई सिद्धी जो अपील के अनुक्रम में हो जो भूल से चाही जाने से रह गई हो, अपीलाण्ट के हक मे जारी फरमायी जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि ग्राम वृन्दावन की अधिकांश भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में गलत गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज है, परन्तु मौके पर कोई नदी नही है तथा ग्राम वृन्दावन के निवासी भूमि को काश्त करते है व मकानात बनाकर आबाद है। अदालत मातहत के आलोच्य आदेश प्रश्नगत भूमि ख0न0 1517 व 1518 जिसका पुराना ख0न0 557 के सम्बन्ध में था, ख0न0 557 की पर्चा खतोनी में खतोनी में खातेदार रामेश्वर दर्ज है जो अपीलान्ट के दादा थे। अदालत मातहत के समक्ष अपीलाण्ट ने पर्चा खतोनी पेश की थी परन्तु अदालत मातहत ने उक्त पर्चा खतोनी का विवरण अपने आलोच्य आदेश में नही दिया है। भूमि ख0न0 1517 व 1518 की जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2016 में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार के नाम से दर्ज है परन्तु बाद में नाम हटा दिये किन्तु काश्त दिखा रखी है तथा लगान की रसीदे भी अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई थी परन्तु अदालत मातहत ने अपने आलोच्य आदेश में उक्त तथ्य का भी विवरण नही दिया है। भूमि ख0न0 1517 व 1518 जिसका खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट का दादा रामेश्वर थे। बाद में रेवेन्यू कर्मचारियो की गलती से रिकार्ड गलत बन गया और भूमि को रेवेन्यू रिकार्ड में नदी के नाम से गलत दर्ज कर दिया गया है। इसी गलत रिकार्ड के आधार पर अपीलाण्ट के खिलाफ अदालत मातहत ने धारा 91 भू –राजस्व अधिनियम के नोटिस जारी कर आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट ने उक्त प्रकार से गलत रेवेन्यू रिकार्ड की जानकारी होने पर अपीलाण्ट के पिता ने एक दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ति का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं के समक्ष बउनवानी रामावतार बनाम राज0 सरकार मु0न0 178/2021 पेश किया, उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जारी कर रखी है, जिसकी तारीख पेशी दिनांक 27.04.2022 को नियत है। अतः अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 04.03.2022 को निरस्त व आपास्त फरमाया जावे तथा अदालत मातहत को पत्रावली इस निर्देश के साथ लौटाई जावे कि उपखण्ड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं के न्यायालय में चल रहे अपील में वर्णित दावा के निस्तारण तक अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे। अन्य कोई सिद्धी जो अपील के अनुक्रम में हो जो भूल से चाही जाने से रह गई हो, अपीलाण्ट के हक मे जारी फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम वृन्दावन स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1517 रकबा 41.21 किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 280 वर्गमीटर पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म प्रतिबन्धित श्रेणी की है जिसका नियमन भी अपीलान्ट के पक्ष मे नही किया जा सकता है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम वृन्दावन स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1517 रकबा 41.21 किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 280 वर्गमीटर पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म प्रतिबन्धित श्रेणी की है। अपीलान्ट को उक्त सरकारी एवं प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 यथावत रखा किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:16 IST
Reason: SelfAttested